

दिनांक

आज्ञा पत्र

13.4.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट/उपस्थित पीठारीन अधिकारी महोदय आज... 2.9.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 2.7.22 को पेश हो।

27.6.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट/उपस्थित पीठारीन अधिकारी महोदय आज... 27.6.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 27.6.22 को पेश हो।

25.8.22

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपील/रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हों। तामिल अपील का शीघ्रतः निस्तारण किया जा सके पत्रावली वस्ते तलवी रिकार्ड दिनांक 7.11.22 को पेश हो।

7.11.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपील/रेस्पोंडेंट/उपस्थित पीठारीन अधिकारी महोदय आज... 8.11.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 8.11.22 को पेश हो।

30.11.22

पत्रावली पेश वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश कर अन्याय आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपील में रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपील/रेस्पोंडेंट के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील/रेस्पोंडेंट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर ब्रद तरीक तामील दाखिल दफतर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्डियन)